श्रम और रोजगार मंत्रालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के साथ मिलकर काम करता है

दो सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा प्रदाता मिलकर चिकित्सा देखभाल लाभ प्रदान करेंगे

इस सहयोग से 14.43 करोड़ ईएसआई लाभार्थी लाभान्वित होंगे

Posted On: 28 NOV 2024 10:41AM by PIB Delhi

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य लाभ और चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना सरकार की प्राथमिकता है। इससे अधिक उत्पादक श्रम शक्ति का विकास होगा जिससे 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को गति मिलेगी।

इस संदर्भ में, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के मार्गदर्शन में काम करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) की सुविधाओं के साथ कर्मचारियों और उनके आश्रितों तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहा है। इस पहल से 14.43 करोड़ से अधिक ईएसआई लाभार्थियों और उनके परिवारों को पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण और व्यापक चिकित्सा देखभाल का लाभ मिलेगा। इस संदर्भ में, भारत सरकार की श्रम एवं रोजगार सचिव सुश्री सुमिता डावरा ने 26.11.2024 को इन दोनों योजनाओं के अभिसरण की पूरी प्रक्रिया और इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की।

ईएसआईसी के महानिदेशक श्री अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस अभिसरण के माध्यम से, ईएसआईसी लाभार्थी देश भर में 30,000 से अधिक आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें उपचार लागत पर कोई वित्तीय सीमा नहीं होगी। यह भागीदारी न केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को बढ़ाएगी बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि उपचार व्यय पूरी तरह से कवर हो, जिससे सभी लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा आसानी से सुलभ और सस्ती हो सके। देश भर के धर्मार्थ अस्पतालों को भी ईएसआई लाभार्थियों के उपचार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

ईएसआई योजना के अंतर्गत मौजूदा चिकित्सा देखभाल 165 अस्पतालों, 1590 डिस्पेंसरियों, 105 डिस्पेंसरी सह शाखा कार्यालयों (डीसीबीओ) और लगभग 2900 सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ईएसआई योजना का

अभिसरण देश के कार्यबल और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चिकित्सा देखभाल प्रदान करने की दिशा में ईएसआईसी के प्रयासों को और अधिक पूरक और मजबूत बनाएगा।

ईएसआई योजना अब देश के 788 जिलों में से 687 जिलों में लागू हो चुकी है (जबकि वर्ष 2014 में यह 393 जिलों में थी)। पिछले 10 वर्षों में इस प्रक्रिया में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ सहयोग करके ईएसआई योजना को अब शेष जिलों में भी विस्तारित किया जा सकता है।

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ईएसआईसी के अभिसरण से समग्र सामाजिक सुरक्षा तंत्र में उल्लेखनीय वृद्धि होने से स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में समानता को बढ़ावा मिलेगा। इस अभिसरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उन लोगों के लिए सुलभ हो, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

*****

एमजी/केसी/जेके/एसके

(Release ID: 2078366) Visitor Counter : 30

Read this release in: English , Urdu , Marathi , Manipuri , Gujarati , Tamil